

चूँकि मामला सक्षित विचारणीय है। अतः सक्षित विचारण प्रारम्भ किया गया। अभियुक्त / अभियुक्तागण के विरुद्ध धारा 304 भा0 द0 सं0 / 304 के अन्तर्गत अघिनियम के अधीन अपराध की विशिष्टियां विरचित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाये और समझाये जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना स्वेच्छया स्वीकार किया। अतः अभिवाक् यथा संगत उराके शब्दों में लेखबद्ध किया गया।

अभियुक्त / अभियुक्तागण की स्वेच्छया अपराध की स्वीकारोक्ति को ध्यान में रखते हुए निर्णय प्रथम से रचित कराकर हस्ताक्षरित, दिनांकित, मुद्रांकित कर घोषित किया गया। अभियुक्त को उक्त अपराध के अधीन दोषसिद्ध करते हुए न्यायालय अवसान तक की अवधि के दण्ड एवं 500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड के संदाय में व्यतिक्रम की दशा में अभियुक्त को 7 दिवस का साधारण कारावास भुगताया जावे।

निर्णय की निःशुल्क प्रति अभियुक्त को प्रदान कर पावती ली जाये।

जप्तसुदा संपत्ति 5 दिनांक 20 मूल्यहीन होने से नष्ट कर किये जायें। संपत्ति 5 दिनांक 20 मूल्यहीन होने से नष्ट कर व्ययनित की जाये। जप्तसुदा वाहन की दशा में वाहन उसके स्वामी को लौटाया जाये। सुपुर्दगी की दशा में सुपुर्दगीनागा निरस्त किया जाता है तथा अपील की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशों का पालन हो।

प्रकरण का परिणाम आपराधिक पंजी में पंजीबद्ध कर विहित अवधि में अभिलेख संचयन हेतु आवश्यक प्रतिपूर्ति उपरांत अभिलेखागार प्रेषित किया जाये।

पुनश्च

निर्णयानुसार अभियुक्त / अभियुक्तागण ने अर्थदण्ड की राशि 500/- रुपये अदा की जिसकी पावती बुक क0 6887 रसीद, क0 25 दी गई। अभियुक्त / अभियुक्तागण को सजा भुगताई गई।

प्रकरण उपरोक्त निर्देश अनुसार सम्पन्न हो।

A.K. Gupta
Judicial Magistrate (S.D.)
Ghazipur District
Ghazipur District
Ghazipur District

A.K. Gupta
Judicial Magistrate (S.D.)
Ghazipur District
Ghazipur District
Ghazipur District

वेतनी रक्षि